<u>लोक–सुनवाई का वृत</u>

मेसर्स भूषण इंटरप्राइजेज, प्रस्तावक, श्री भूषण कुमार, पिता–श्री राजेंद्र सिंह, शक्तिनगर, मित्र मंडल कॉलोनी, अनिशाबाद, पटना के द्वारा किउल नदी ब्लॉक–11 बालू घाट, मौजा–गारौ नवादा, प्रखंड–जमुई, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 20.06.2023 को पूर्वाहन् 11:00 बजे प्रखंड सभागार जमुई, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, दिनांक 14.09.2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या–SIA/1(a)/ 2251/2023, दिनांक 27.01.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा– "द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना" एवं "प्रभात खबर", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **17.05.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी ब्लॉक–11 बालू घाट, मौजा–गारौ नवादा, प्रखंड–जमुई, जिला–जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री भूषण कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक– 11 में 30.7 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 379452 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹350.98 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या– 11 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि' तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपांय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।
3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा।

बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।

4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी / सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना / मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
11. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
12. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री संजय कुमार, सिरचंद नवादा, जमुई के द्वारा खनन के लिए निर्धारित मानक 3 मीटर से अधिक गहराई तक खनन किये जाने तथा मानसून के पूर्व और बाद में नदी में बालू की मात्रा का अध्ययन की स्थिति तथा भू–जल स्तर कम होने के संबंध में जानकारी मांगी गई।	प्रस्तावित खनन परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में सिर्फ 1 मीटर के गहराई तक ही खनन करने की अनुमति है। मानसून पूर्व एवं बाद में पुनर्भरण अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। मानसून के समय खनन कार्य बंद रहेगा। भू–जल स्तर कम होने से रूकने के लिए समुचित प्रयास किये जायेंगे। नदी में जल का अविरल प्रवाह सुनिश्चित किया जायेगा। मानक से अधिक गहराई तक खनन एवं अवैध खनन की सूचना खनन विभाग या प्रशासन को दिया जा सकता है। जिसपर संबंधित पदाधिकारी के द्वारा विधिसम्मत कारवाई की जायेगी।
2.	श्री अनीस कुमार, गारो नवादा, जिला–जमुई के द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना से स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर एवं अन्य लाभ के बारे में जानकारी मांगी गई।	प्रस्तावित खनन परियोजना में कार्य हेतु स्थानीय ग्रामीणों को उनकी योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी। गांव के विकास के लिए परियोजना लागत की 2% राशि ग्रामीणों से विमर्श करके खर्च किया जायेगा।
3.	श्री प्रयाग यादव, गारो नवादा, जमुई के द्वारा पट्टा समाप्त होने के पूर्व किसी संभावित दुर्घटना होने से रोकने के लिए गहराई को भरने का अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित खनन परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने की अनुमति है। मानक से अधिक गहराई तक खनन एवं अवैध खनन की सूचना खनन विभाग या प्रशासन को दिया जा सकता है। जिसपर संबंधित पदाधिकारी के द्वारा विधिसम्मत कारवाई की जायेगी।
4.	श्री अशोक यादव, गारो नवादा, जमुई के द्वारा गाड़ियों के आने–जाने से धूल–कण उड़ने एवं गांव के बीच से गाड़ी ले जाने पर दुर्घटना की आशंका व्यक्त करते हुए इसके निराकरन हेतु किये जाने वाले उपाय की जानकारी मांगी गई।	गाड़ियों को गांव के बीच से न ले जाकर गांव के बाहर के मार्ग से ले जाया जायेगा। PUC प्रमाण पत्र प्राप्त वाहनों से ही कार्य कराया जायेगा। विद्यालय के खुलने एवं बंद होने के समय वाहनों का आवागमन बंद रखा जायेगा। धूल–कण के दमन के लिए जल–छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जायेगा।
5.	श्री धीरज कुमार, गारो नवादा, जमुई के द्वारा निजी रैयती जमीन में भी खनन करने की शिकायत की गई।	प्रस्तावित खनन परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा। निजी जमीन में खनन की सूचना संबंधित अंचलाधिकारी एवं खनिज विकास पदाधिकारी को दिया जा सकता है, जिसपर आवश्यक कारवाई की जायेगी।

6.	श्री बब्लू मिश्रा, गारो नवादा, जमुई के द्वारा निर्धारित मानक से अधिक गहराई तक खनन तथा पुल के 200 मीटर के अंदर खनन किये जाने का शिकायत किया गया।	प्रस्तावित खनन परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा। प्रस्तावित खनन परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने की अनुमति है। मानक से अधिक गहराई तक खनन एवं अवैध खनन की सूचना खनन विभाग या प्रशासन को दिया जा सकता है। जिसपर संबंधित पदाधिकारी के द्वारा विधिसम्मत कारवाई की जायेगी।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

21-6-2023

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद,
भागलपुर।

21/6/23

अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स भूषण इंटरप्राइजेज, श्री भूषण कुमार, पिता-श्री राजेंद्र सिंह, शक्तिनगर, मित्र मंडल कॉलोनी, अनिशाबाद पटना द्वारा जमुई किउल नदी ब्लॉक 11 बालू घाट, मौजा-गारौ नवादा, ब्लॉक-जमुई, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 20.06.2023 को पूर्वाहन् 11:00 बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार जमुई, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Dular Ram	Adm (PGR) cum DPGRO Jamui	[signature] 20/6/23
2.	Shambhu Nath Jh	Regional officer Bhagalpur B.S.P.C.B	Shambhu 20-6-23
3.	[illegible]	[illegible]	[signature] 20/6/2023
4.	Sprha	Mines inspector	[signature] 20/6/2023
5.	Aniesh Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	Anish 20/06/23
6.	Rajesh Kumar Vishwas	Environmental Consultant P&M Solution (Noida)	Rajesh
7.	Veeru Kumar	Jamui	Veeru
8.	Md. Saddu	Azad Nagar Jamui	Md. [illegible]
9.	[illegible]	[illegible]	[signature]
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.	अनीश कुमार	गारो नवादा	[signature]

12.	अशोक प्रसाद	वारा नवादा	अशोक प्रसाद
13.	प्रयाग नारायण	गारो नवादा	प्रयाग नारायण
14.	बबलू कुमार	गारो नवादा	बबलू कुमार
15.	संगीत कुमार	गारो नवादा	संगीत कुमार
16.	पंकज पाण्डेय	अमरावे	पंकज पाण्डेय
17.	जीवन राम	सुरसरी	[illegible]
18.	बनारसी ठाकुर	संगपु	बनारसी ठाकुर
19.	गणेश सिंह	खड़सरी	गणेश सिंह
20.	युगेश्वर मोदी	नवीनगर	युगेश्वर मोदी
21.	मो० शहनवाज आलम	पुरानी बाजार जमुई	मो० शहनवाज आलम
22.	उषा शर्मा	पुरानी जमुई	[signature]
23.	[illegible] कुमार	जमुई	[signature]
24.	अशोक सिंह	गारो नवादा	[signature]
25.	राकेश कुमार	गारो नवादा	[signature]
26.	नरेश	जमुई	[signature]

27.	Deepak Kumar	Bihar	[signature]
28.	Manish Kumar	C/o BHushan Enterprises TBIHTA, Patna	[signature]
29.	[illegible]	[illegible]	[signature]
30.	[illegible]	[illegible]	[signature]
31.	Gani Shah	[illegible]	[signature]
32.	पिन्टु कुमार	जमुई	पिन्टु कुमार
33.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34.	[illegible]	[illegible]	[signature]
35.	B Kumar	[illegible]	[signature]
36.	[signature]	Jamui	[signature]
37.	[signature]	Jamui	[signature]
38.	DHIRAJ K DUBEY	[illegible]	[signature]
39.			
40.			
41.			